न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंथल (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री अमृता खंडेलवाल, (आर॰ए॰एस॰)
प्रकरण संख्या : 61 / 2024
दायर दिनांक : 09.12.2024
निर्णय दिनांक : 06.03.2026

1. बंशी पुत्र नाथूलाल जाति बागरिया निवासी ग्राम बागरिया की ढाणी, सैंथल जिला दौसा राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुण्डल जिला दौसा।

अप्रार्थी

उपस्थिति :– सतीश कुमार पारीक एड0, पवन कुमार शर्मा एड0 –प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी वाके ग्राम सैंथल तहसील सैंथल जिला दौसा में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2344 / 153, खसरा नम्बर 2346 / 154 कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 है0 जिसमें प्रार्थी का सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त भूमि के खातेदारी प्रार्थी की जाति राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से बागरिया की जगह बावरिया दर्ज कर दी गई है। जबकि प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण–पत्र व प्रार्थी के पिता नाथू के मृत्यु प्रमाण पत्र आदि सभी दस्तावेजों में बागरिया ही दर्ज है। प्रार्थी अनपढ व अशिक्षित होने के कारण अपनी जाति गलत दर्ज होने व दुरूस्त की जानकारी नहीं थी। सरकारी योजनाओं केसीसी का लाभ लेने से वंचित हो रहा है जिसे ठीक कराने को प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में गलत दर्ज हो रहे जाति के अंकित बावरिया के स्थान पर बागरिया कराने के लिए दिनांक 20.11.2024 को पटवारी हल्का से मिला तो पटवारी हल्का ने बताया तुम्हारी जाति राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज हो रही है जिसको मैं सही नहीं कर सकता तुम्हे कोर्ट में जाकर सही कराना पडेगा। तब प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड जामाबंदी की नकलें निकलवाई व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज हुये बावरिया के स्थान पर बागरिया को दुरूस्त करवाकर बागरिया दर्ज करना आवश्यक हो गया जिसके लिये प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट तैयार कर न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 2344 / 153, 2346 / 154 कुल किता 2

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

कुल रकबा 0.62 है0 वाके ग्राम सैंथल तहसील सैंथल जिला दौसा में प्रार्थी की जाति बावरिया के स्थान पर बागरिया राजस्व रिकॉर्ड में तहसीलदार सैंथल को दुरुस्त फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार सैंथल दिनांक 25.07.2025 द्वारा अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो अपूर्ण व अस्पष्ट होने के कारण तहसीलदार सैंथल को पूर्ण एवं स्पष्ट रिपोर्ट दस्तावेज सहित पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार सैंथल द्वारा पत्रांकः–भू0अ0 / 2025 / 1305 दिनांक 18.08.2025 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कथन किया गया कि आवेदक द्वारा पटवारी जांच के दौरान उपलब्ध कराये गये दस्तावेजात जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशनकार्ड में प्रार्थी की जाति बागरिया अंकित है तथा मजमे आम में की गई पूछताछ व रिपोर्ट पटवारी हल्का अुनसार बंशी पुत्र नाथूलाल जाति बावरिया के स्थान पर बंशी पुत्र नाथूलाल जाति बागरिया शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 2344 / 153, 2346 / 154 कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 है0 वाके ग्राम सैंथल तहसील सैंथल जिला दौसा में प्रार्थी की जाति 'बावरिया' के स्थान पर 'बागरिया' दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड तथा तहसीलदार सैंथल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 2344 / 153, 2346 / 154 कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 है0 वाके ग्राम सैंथल तहसील सैंथल जिला दौसा में प्रार्थी की अंकित जाति बावरिया के स्थान पर बागरिया दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार सैंथल को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2344 / 153, 2346 / 154 कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 है0 वाके ग्राम सैंथल तहसील सैंथल जिला दौसा में अंकित **प्रार्थी की जाति बावरिया के स्थान पर जाति बागरिया** राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार सैंथल को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(सुश्री अमृता खंडेलवाल)
उपखण्ड अधिकारी, सैंथल